# न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी – पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 50/2007

1. रामसिंह पुत्र ग्यारसा जाति गुर्जर निवासी मीना सीमला तहसील सिकराय जिला दौसा
2. श्रीमती रेशमी पत्नि रामसिंह जाति गुर्जर निवासी मीना सीमला तहसील सिकराय जिला दौसा
3. श्रीमती हुकम कंवर पत्नि विजयसिंह जाति गुर्जर निवासी मीना सीमला तहसील सिकराय जिला दौसा
4. विजयसिंह पुत्र रामप्रताप जाति गुर्जर निवासी मीना सीमला तहसील सिकराय जिला दौसा

...प्रार्थीगण

बनाम

1. सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा।
2. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना इकाई नेशनल हाईवे नंबर 11, 156 गिरनार कालोनी, गांधी पथ, वैशाली नगर जयपुर।

...अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र वास्ते दिलाने मुआवजा अन्तर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थिति– 1. श्री विनोद कुमार विजय अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री दीपक शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 की ओर से

दिनांकः 02.12.2020

## निर्णय

संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि वाके ग्राम गुर्जर सीमला तहसील सिकराय में स्थित भूमि प्रार्थी संख्या 1 द्वारा जरिये रजिस्ट्री कय कर मौके पर कब्जा प्राप्त किया। उक्त प्रार्थीगण के खसरा नं0 83/1 रकबा 11 बीघा 3 बिस्वा में से हिस्सा 3/892 वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ श्योबक्स पुत्र भौंरीलाल गुर्जर निवासी गुर्जर सीमला से खरीद शुदा कब्जे की भूमि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भूमि है और वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ काम में आ रही है। उक्त प्रार्थीगण की वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भूमि में से राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 11 फोरलेन हेतु 379.39 मीटर भूमि एक्वायर की गई है। उक्त प्रार्थीगण की भूमि का खसरा नंबर 83/1 /2 कायम कर दिया। किन्तु उक्त भूमि जमाबंदी में बंजर द्वितीय दर्ज होने के कारण अप्रार्थी ने उक्त भूमि का मुआवजा बंजर द्वितीय की दर से तय कर दिया जो कि गलत है। उक्त भूमि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भूमि है जिसका मुआवजा वाणिज्यिक दर से तय कर दिलाया जावे। उक्त भूमि का वाणिज्यिक दर से मुआवजे हेतु प्रार्थीगण द्वारा आपत्ति भी प्रस्तुत की गई थी, किन्तु ना मालूम किस प्रकार आपत्ति को शामिल नहीं किया गया। अतः अवाप्त की गई भूमि का वाणिज्यिक दर से मुआवजा दिलवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि खसरा नं0 83/1 रकबा 11 बीघा 3 बिस्वा में से हिस्सा 3/892 वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ श्योबक्स पुत्र भौंरीलाल गुर्जर निवासी गुर्जर सीमला से खरीद शुदा कब्जे की भूमि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भूमि है और वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ काम में आ रही है। उक्त प्रार्थीगण

की वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भूमि में से राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 11 फोरलेन हेतु 379.39 मीटर भूमि एक्वायर की गई है। उक्त प्रार्थीगण की भूमि का खसरा नंबर 83/1 /2 कायम कर दिया। भूमि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भूमि है, जिसका मुआवजा वाणिज्यिक दर से प्रार्थीगण को दिया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 द्वारा जवाब बहस में निवेदन किया गया कि सक्षम अधिकारी ने धारा 3 सी के तहत कोई व्यक्ति अधिसूचना जारी करने के 21 दिवस के भततर सक्षम अधिकारी के समक्ष करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा सुनवाई का अवसर दिया जाकर आपत्ति को स्वीकार अथवा अस्वीकार करेगा। प्रार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। सक्षम अधिकारी ने अवाप्तशुदा वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 83/1/2 की अवाप्तशुदा रकबा 37939 वर्गमीटर किस्म बंजड 2 की कुल मुआवजा राशि 61047/– रूपये निर्धारित की गई। सक्षम अधिकारी द्वारा तथ्यों, मौके व रिकार्ड की स्थिति के आधार पर मुआवजा राशि का अवार्ड पारित किया गया है। प्रार्थीगण ने नितान्त ही गलत आधारों पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली में संलग्न भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सिकराय की बिन्दुवार जांच रिपोर्ट के अनुसार आराजी खसरा नंबर 83/1/2 किस्म बंजड 2 राजस्व रेकार्ड के अनुसार है। उक्त रकबे में से 379.39 वर्गमीटर भूमि राजमार्ग हेतु अवाप्त की गई थी। राजस्व रेकार्ड के अनुसार खसरा नंबर 83/1/2 किस्म बंजड 2 के खातेदार रेशमदेवी पत्नि रामसिंह,हुकम कंवर पत्नि विजयसिंह, विजयसिंह पुत्र रामप्रताप, रामसिंह पुत्र ग्यारसा गुर्जर है। तत्समय प्रचलित डी0एल0सी9 दर दिनांक 12.5.2006 146.28 रू0 प्रतिवर्गमीटर की दर से 55497रू0 व 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि 5550/रू0 कुल राशि 61047/–रू0 मुआवजा निर्धारित किया गया है। तत्समय राजस्व रेकार्ड एवं राजस्व कर्मियों द्वारा किये गये सर्वे के अनुसार ही भूमि अवाप्त कर विधिवत निर्धारित समय में प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात ही भूमि अवाप्ति का कार्य किया गया है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे ग्राम मीना सीमला तहसील सिकराय में अवाप्ताधीन भूमि खसरा नं0 83/1/2 किस्म बंजड रकबा 379.39 वर्गमीटर भूमि का तत्समय प्रचलित डी0एल0सी0 दर से किया गया मुआवजा का निर्धारण सही किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त अवाप्त भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। राजस्व व अन्य रिकार्ड के मुआवजा सक्षम अधिकारी द्वारा मुआवजा निर्धारण सही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार की जाकर बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, दौसा
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 02.12.2020 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, दौसा
जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official